

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा "जिला योजना/राज्य सैक्टर योजनाओं" के अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु निविदायें जो ठेकेदार/फर्म देहरादून वन प्रभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पंजीकृत/नवीनीकृत हों, उनसे पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कुरियर/निविदा पत्र पेटी में दिनांक 15.11.2023 के सांय 4 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 13.11.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, 5-तिलक रोड, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्य का विवरण/ प्राक्कलन व निविदा की शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। निविदा में दी जाने वाली दरों में जी0एस0टी0 का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 15.11.2023 को सांय 4.30 बजे अधोहस्ताक्षरी या अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वन विभाग की वेबसाईट www.forest.uk.gov.in पर देखी जा सकती है।


क0 सं0	राजि का नाम	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	घरोहर घनराशि
1.	मल्हान	कालूवाला में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की भूमि कटाव रोकने हेतु तारजाल साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	9,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 18,000.00
2.	मल्हान	संहसरा क0सं0 02 (चीड़खाला) में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की भूमि कटाव रोकने हेतु तारजाल साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	5,00,000.00	₹ 5000 + 18%GST	₹ 10,000.00
3.	मल्हान	कल्याणपुर क0सं0 04ए(शेरपुर) में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की भूमि कटाव रोकने हेतु तारजाल साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	6,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 12,000.00
4.	मल्हान	संहसरा क0सं0 07ए में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की भूमि कटाव रोकने हेतु तारजाल साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	6,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 12,000.00
5.	मल्हान	वन दरोगा आवास सम्भावला का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	3,00,000.00	₹ 500 + 18%GST	₹ 6,000.00
6.	लच्छीवाला	सौंग क0सं0 01 व 02 में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	9,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 18,000.00
7.	लच्छीवाला	लच्छीवाला क0सं0 01(सत्तीवाला से झडौंद गांव) में सोलर फेन्सिंग कार्य	20 दिन	19,00,000.00	₹ 1500 + 18%GST	₹ 38,000.00
8.	लच्छीवाला	वन विश्राम भवन लच्छीवाला में चौकीदार आवास का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	3,00,000.00	₹ 500 + 18%GST	₹ 6,000.00
9.	थानों	कालूवाला-सौंग नदी में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	7,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 14,000.00

11.11.23
प्रभागीय वन अधिकारी
देहरादून

[Signature]
27.10.2023

क्र० सं०	राजि का नाम	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर
10.	थानों	बगतरवाला-सौग नदी में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	5,00,000.00	₹ 500 + 18%GST	₹ 10,000.00
11.	थानों	तलाई से विधालना गांव के कृषकों की हाथी से खेती सुरक्षा हेतु सोलर फेन्सिंग कार्य	20 दिन	19,00,000.00	₹ 1500 + 18%GST	₹ 38,000.00
12.	थानों	भोपालपानी वन रक्षक चौकी का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	3,00,000.00	₹ 500 + 18%GST	₹ 6,000.00
13.	बड़कोट	जाखन क०सं० 01(माजरी ग्रान्ट) में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	7,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 14,000.00
14.	बड़कोट	चाण्डी क०सं० 02(माजरी ग्रान्ट) में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	7,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 14,000.00
15.	बड़कोट	अदूरवाला गांव के कृषकों की हाथी से खेती सुरक्षा हेतु सोलर फेन्सिंग कार्य	20 दिन	19,00,000.00	₹ 1500 + 18%GST	₹ 38,000.00
16.	मालसी	ग्राम सभा कांडली विलासपुर मसन्दावाला में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	7,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 14,000.00
17.	मालसी	वन चौकी मालसी का सुदृढीकरण कार्य	20 दिन	3,00,000.00	₹ 500 + 18%GST	₹ 6,000.00
18.	झाझरा	डूंगा क०सं० 09(सौड़ा ग्राम) में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	6,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 12,000.00
19.	झाझरा	कण्डोली क०सं० 13(कण्डोली ग्राम) में आरक्षित वन से बहने वाले पानी से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु साईडवाल निर्माण कार्य-	20 दिन	6,00,000.00	₹ 1000 + 18%GST	₹ 12,000.00
20.	झाझरा	वन दरोगा आवास कण्डोली का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	3,00,000.00	₹ 500 + 18%GST	₹ 6,000.00
21.	आसारोड़ी	मोहब्बेवाला अर्दली/डाकिया/वन चौकी का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	3,00,000.00	₹ 500 + 18%GST	₹ 6,000.00

नोट:- शर्तें एवं प्रतिबन्ध देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।



(नीतीश मिश्रा त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

निविदा की शर्तें

निविदा भेजने से पूर्व निविदादाता निम्न शर्तों को ध्यान से रखकर निविदा दें। किसी भी एक शर्त का पालन ना होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

1. निविदाये तन्ही फर्मों/ ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती हैं जो देहरादून वन प्रभाग, देहरादून में वानिकी/ अन्य कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये पंजीकृत /नवीनीकृत होना चाहिये।
2. निविदाये पंजीकृत झाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर/ निविदा पेटी में दिनांक 15.11.2023 के सायं 04.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 13.11.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, 5 तिलक रोड़, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते है। कार्य का विवरण/प्राक्कलन व निविदा की शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को आकर देखी जा सकती है।
3. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और वह स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4. निविदा लिफाफे के बाहर जिस कार्य हेतु निविदा दी जा रही है, का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।
5. निविदा में स्पष्ट लिखा होना चाहिये कि निविदादाता प्राक्कलन लागत से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक पर कार्य करने को तैयार है। एक मुश्त दरें मान्य नहीं होंगी। ऐसी निविदा निरस्त मानी जायेगी। शर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदा के साथ निविदा में दर्शायी गयी धनराशि नेक जमानत/बयान धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक की एफडीआर प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पदनाम पर निरूपित कर संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निविदा के साथ ₹ 100.00 नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर ₹ 1.00 का रसीदी टिकट हस्ताक्षरयुक्त होना अनिवार्य होगा, जिसके पीछे निविदा की शर्तें लगी हों।
8. निविदा के साथ जीएसटी पंजीकरण, आयकर पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
9. ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गयी न्यूनतम दरें कम से कम एक माह के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि उक्त अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय बुला लें।
10. निविदादाता निविदा प्रेषित करने से पूर्व कार्यस्थल एवं प्राक्कलन का निरीक्षण भली-भाँति कर लें बाद में किसी प्रकार की शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात कार्यदेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य का अनुमान व पूर्ण जानकारी संबंधित वन क्षेत्राधिकारियों के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
12. टैण्डर स्वीकृत किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने के 7 दिन के अन्दर निविदादाता को कार्यालय में उपस्थित होकर निविदा की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि या इससे अधिक जैसा भी अधोहस्ताक्षरी उचित समझे अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित कर जमानत के रूप में जमा करना होगा तथा प्रतिज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे।
13. निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होंगे।
14. विभाग कोई भी सामग्री ठेकेदार को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
15. यदि व्यय अनुमान के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के किया गया तो उसका भुगतान करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।

- 16 यदि उच्चधिकारियों द्वारा प्राक्कलन में किसी प्रकार से सशोधन किया जाता है तो वह ठेकेदार होगा तथा अन्तिम भुगतान तदनुसार ही तुलनात्मक रूप से किया जायेगा।
- 17 कार्यदेश में दी गयी अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
- 18 निविदादाता को देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में विभिन्न वानिकी/निर्माण कार्य का ठेकेदारी व्यवसाय हेतु पंजीकृत/नवीनीकृत होना चाहिए, जिसकी फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- 19 कार्यो का भुगतान सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के पश्चात सन्तोषजनक होने पर किया जायेगा।
- 20 निर्माण में जो भी मलवा आदि स्थल पर आयेगा उसको ठेकेदार को स्वयं हटाना होगा तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
- 21 शासनादेश के अनुसार जी0एस0टी0, आयकर व स्टाम्प शुल्क देना होगा जिसकी कटौती ठेकेदार के भुगतान से की जायेगी।
- 22 निविदादाता को निविदा में अपना पूरा पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तदायी नहीं होगा।
- 23 ठेकेदार को निर्माण सामग्री पर देय राब्रल्टी/चूंगी आदि का भुगतान अपने खर्च पर करना होगा। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने पर पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। **पिता कार्यादेश का कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा,**
- 24 यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश पड़ता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
- 25 यदि ठेकेदार द्वारा कोई कार्य असन्तोषजनक किया जाता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर जमानत की धनराशि जप्त/अपहरीत कर ली जायेगी साथ ही ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
- 26 अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाय वसूली अवशेष रह जाती है, तो उसके भुगतान हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।
- 27 कार्य का निरीक्षण, क्षेत्रीय वन रक्षक/वन दरोगा से लेकर उच्चाधिकारी कर सकते हैं। कार्य सन्तोषजनक न होने पर ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर पुनः कार्य ठीक करना होगा, अथवा भुगतान काट दिया जायेगा।


(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।